को पटरियों से अलग कर दिया गया है। ये माल डिब्बे उनकी हालत के आधार पर पुनः स्थापन और मरम्मत के लिए या रद्द किये जाने और निपटान के लिए पड़े हुए हैं। गतायु बेकार स्टाक का निपटान करने के लिए निर्धारित स्थानों पर भी माल डिब्बे पटरी से अलग कर दिये जाते हैं और अंतिम निपटान के लिए खड़े कर दिये जाते हैं।

जी० टी० एक्सप्रेस के तीन टायर वाले शयनयान डिब्बे में आग लगने के कारण

***384. श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 5/6 जुलाई को जी० टी० एक्सप्रेस के तीन टायर वाले शयनयान डिब्बे में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आग लगने के परिणामस्वरुप यात्रियों को किस हद तक हानि हुई; और

(ङ) इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क), (ख), (ग) और (ङ) : 6-7-81 को जब 16 अप जी० टी० एक्सप्रेस मध्य रेलवे के करोंदा और अपासोड स्टेशनों के बीच चल रही थी, दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे में आग लग गयी। गाड़ी रोक दी गयी और प्रभावित डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया गया।

आग से किसी को चोट नहीं आयी।

जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह मालूम देता है कि आग अपराधिक अपराध के कारण लगी। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

(घ) हानि की मात्रा का निर्धारण पदेन दावा आयुक्त द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर किया जायेगा।

266 अप तथा 265 डाउन जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाना

***386. श्री विरदा राम फुलवारिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 266 अप तथा 265 डाउन जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस गाड़ी को अहमदाबाद तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण गाड़ी को अहमदाबाद तक कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी नहीं। लेकिन, 1-4-81 से भिलड़ी के रास्ते 265/

266 जोधपुर-भिलड़ी गाड़ी और 65ए/66ए भुज-अहमदाबाद तेज सवारी गाड़ी के साथ जोधपुर और अहमदाबाद के बीच थ्रू सवारी डिब्बों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गयी है। इस प्रकार जोधपुर और अहमदाबाद के बीच सीधी यात्रा की व्यवस्था हो गयी है। बहरहाल, इस गाड़ी का चालन-क्षेत्र बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

Expansion of Asansol Station

*387. SHRI BASUDEB ACHARYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the 305/UP/306 DN Asansol Express is running with 12 coaches instead of normal 17 coaches for want of adequate space at Asansol Station;

(b) if so, steps taken by Government to expand the Asansol Station to run the train with 17 coaches; and

(c) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Sir, 305/306 Howrah-Asansol Express is scheduled to run with a normal load of 13 coaches as the stabling line at Asansol station can accommodate 13 coaches only.

(b) and (c). It is contemplated to augment the stabling capacity upto 15 coaches with minor remodelling of the station yard.

Expansion of RPF

*388. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

SHRI GHULAM MOHD. KHAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government agreed for the expansion of Railway Police Force;

(b) whether it is a fact that certain State Governments have not agreed to share the cost on 50.50 basis, if so, the names of the States;

(c) whether it is a fact that the Railways have decided to bear 50 per cent of the expenditure on Government Railway Police;

(d) whether the attitude of Railways and State Governments are causing hitches in expending the Railway Police, and

(e) the steps taken by Government to put adequate Police Force on Railways?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

(e) The State Governments have been advised to review the strength of their Government Railway Police and to submit proposals for its augmentation wherever found inadequate. As a result 6020 additional GRP Posts have already been sanctioned to which the Railway have accorded their concurrence.